भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2027
जिसका उत्तर शुक्रवार, 02 अगस्त, 2024 को दिया जाना है

वैकल्पिक विवाद समाधान

2027. श्री धर्मबीर सिंह :

श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेल :

श्री बैजयंत पांडा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2014 से न्यायालयों पर बोझ कम करने के लिए मध्यस्था, पंचमाध्यस्थम और सुलह जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) वैकल्पिक विवाद समाधान से आम जनता को क्या लाभ होगा ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : सरकार, माध्यस्थम् और मध्यकता सहित वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि ये तंत्र कम प्रतिकूल हैं और विवादों को सुलझाने के पारंपरिक तरीकों का बेहतर विकल्प प्रदान करने में सक्षम हैं। एडीआर तंत्र के उपयोग से न्यायपालिका पर भी भार कम होना अपेक्षित है और इसके द्वारा देश के नागरिकों को समय पर न्याय प्रदान करने को समर्थ बनाना है| इस संबंध में पिछले कुछ वर्षों में की गई कुछ प्रमुख पहलों में विद्यमान विधियों में संशोधन और नए विधायन का अधिनियमन शामिल है |

माध्यस्थम् परिदृश्य में वर्तमान विकास के साथ सामंजस्य रखने और एक व्यवहार्य विवाद समाधान तंत्र के रूप में माध्यस्थम् को सक्षम बनाने के लिए माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 को वर्ष 2015, 2019 और 2020 में क्रमिक रूप से संशोधित किया गया है । इन संशोधनों का उद्देश्य माध्यस्थम् कार्यवाही का समय पर समापन, मध्यस्थों की तटस्थता, माध्यस्थम् प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप को न्यूनतम करना और माध्यस्थम् पंचाटों का त्वरित प्रवर्तन सुनिश्चित करना है । संशोधनों का उद्देश्य संस्थागत माध्यस्थम् को बढ़ावा देना, सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए विधि को अद्यतन करना भी है, जिससे एक माध्यस्थम् पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित हो सके, जहां माध्यस्थम् संस्थाएं विकसित हो सकें ।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015, संस्थन-पूर्व मध्यकता और निपटान (पीआईएमएस) तंत्र का उपबंध करने के लिए वर्ष 2018 में संशोधित किया गया था । इस तंत्र के अधीन, जहां विनिर्दिष्ट मूल्य का वाणिज्यिक विवाद कोई तत्काल अंतरिम अनुतोष अनुध्यात नहीं करता है, पक्षकार को, न्यायालय जाने से पहले पीआईएमएस के आज्ञापक उपचार का उपयोग करना होगा । इसका उद्देश्य पक्षकारों को मध्यकता के माध्यम से वाणिज्यिक विवादों के समाधान का अवसर प्रदान करना है ।

भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019, संस्थागत माध्यस्थम् को सुकर बनाने के लिए एक स्वतंत्र, स्वायत्त और विश्वस्तरीय निकाय सृजित करने के प्रयोजन के लिए और केंद्र को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (केंद्र) की स्थापना और निगमन का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था । केंद्र, अपनी सुविधाओं पर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार के वाणिज्यिक विवादों के लिए लागत प्रभावी रीति में विश्वस्तरीय माध्यस्थम् संबंधी सेवाएं प्रदान करेगा, जिसमें प्रतिष्ठित पैनलबद्ध मध्यस्थ और माध्यस्थम् कार्यवाहियों के सुचारू संचालन के लिए अपेक्षित प्रशासनिक सहायता शामिल है ।

मध्यकता अधिनियम, 2023, विशेष रूप से संस्थागत मध्यकता के तत्तवावधान में, विवाद के पक्षकारों द्वारा अपनाए जाने वाले मध्यकता,के लिए विधायी ढांचा अधिकथित करता है ।

(ख) : विवादों के समाधान के लिए एडीआर तंत्र का उपयोग करने का मूल आधार न्यायपालिका पर भार को कम करना है, बड़े पैमाने पर जनता सहित पक्षकारों को अनौपचारिक न्याय प्रदान करने को समर्थ बनाना है । एडीआरतंत्र का उपयोग करने के प्रमुख फायदों में विवादों का समय पर और प्रभावी समाधान शामिल है । संबंधित अधिनियमों में एडीआर प्रकिया के समापन के लिए एक समय सीमा विहित की गई है । माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के संबंध में विधायी सुधारों ने माध्यस्थम् कार्यवाहियों में न्यायालय के हस्तक्षेप को न्यूनतम करने, और वाणिज्यिक विवादों के प्रभावी निपटान को सुकर बनाया है, जिससे कारबार के संचालन में आसानी हुई है । मध्यकता अधिनियम, 2023 से मध्यकता पर एकमात्र विधि प्रदान करते हुए और न्यायालय के बाहर विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटारे और परिणाम को पक्षकार द्वारा संचालित करने की संस्कृति की अभिवृद्धि को समर्थ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण विधायी हस्तक्षेप होने की उम्मीद है ।

****